राज्यपाल सचिवालय,उत्तरप्रदेश ,
लखनऊ-२२६१३२

संख्या-ई.रा./2624/जी.एस.
दिनांक 20 सितम्बर, २००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपकी फैक्स सन्देश/७३१, दिनांक २६.७.२००३ के संदर्भ में मुझे आदेश कर कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के सम्बन्ध में उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन डा.के.एन.मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,मोदीनगर की बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीयसंशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा यथासंशोधित १९७३ की धारा ३७(२) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

२. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

३. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-३- २००३-१६ (८)/२००२, दिनांक ४ जुलाई, ०३ में अंकित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. संस्थान डा.के.एन मोदी इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,मोदीनगर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव